



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241435
CG-DL-E-27122022-241435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5811]
No. 5811]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSHA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6054(अ).—यत् केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कच्चा तेल/ गैस /पानी परिवहन के लिए (1) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (8"Oil Pipeline), (2) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (4"Gas Pipeline) तक पाइपलाइन ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को उस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव है, और जो इस अधिसूचना के उपबन्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाने के अधिकार के अर्जन के लिए **सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी परिसर, अंकलेश्वर-393010 (गुजरात)** को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विदिनिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा।

अनुसूची

क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
(1) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (8"Oil Pipeline), (2) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (4"Gas Pipeline)					
तालुका : हांसोट		जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
1	रोहीद	165	00	01	35
		168	00	10	46
		169	00	02	36
		254	00	07	71
		15	00	02	94
		130	00	26	93
		114	00	56	03
2	कलम	252	00	09	17
		236	00	09	96
		240	00	09	45
		237	00	07	36
		238	00	31	99
		384	00	03	34
		167	00	64	21
तालुका : अंकलेश्वर		जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
3	मोतवाण	407	00	87	17
		31	00	55	70
		28	00	00	40
		57	00	16	47
		27	00	26	47
		25	00	08	17
		26	00	13	73
		20	00	38	33
		19	00	18	42
		18	00	04	82
		58	00	32	25
		68	00	17	41
		69	00	20	39
		85	00	33	90

क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	मोतवाण (जारी.)	97	00	05	37
		98	00	10	02
		103	00	03	75
		96	00	14	93
		104	00	14	11
		105	00	11	77
		106	00	26	05
		107	00	08	22
		93	00	04	32
4	सरथाण	551	00	04	90
		553	00	05	00
		554	00	17	33
		555	00	17	86
		557	00	20	45
		559	00	00	50
		556	00	27	03
		575	00	03	72
		573	00	29	19
		570	00	16	15
		568	00	02	41
		567	00	05	53
		569	00	15	05
5	तेलवा	71	00	01	45
		72	00	24	80
		73	00	00	58
		70	00	01	82
		74	00	09	53
		75	00	09	96
		48	00	02	29
		76	00	00	56
		77	00	01	57
	तेलवा (जारी.)	78	00	51	03
		80	00	04	85

क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		81	00	03	49
		79	00	00	40

[फा. स. इएक्सपीएल-11032(11)/96/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-45248)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6054(E).—WHEREAS, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Crude Oil/Gas/Water from (1) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (8"Oil Pipeline), (2) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (4"Gas Pipeline) should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto:-

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

PROVIDED THAT ANY person interested in the land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd. ONGC CAMPUS, ANKLESHWAR ASSET, ANKLESHWAR-390010 (Gujarat).

AND every person making such objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
(1) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (8"Oil Pipeline), (2) GGS Motwan to GGS 5 Junction Point (4"Gas Pipeline)					
TALUKA: HANSOT			DISTRICT: BHARUCH		
			SATATE: GUJARAT		
1	ROHID	165	00	01	35
		168	00	10	46
		169	00	02	36
		254	00	07	71
		15	00	02	94
		130	00	26	93
		114	00	56	03
2	KALAM	252	00	09	17
		236	00	09	96
		240	00	09	45

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		237	00	07	36
		238	00	31	99
		384	00	03	34
		167	00	64	21
TALUKA: ANKLESHWAR			DISTRICT: BHARUCH		
			SATATE: GUJARAT		
3	MOTAVAN	407	00	87	17
		31	00	55	70
		28	00	00	40
		57	00	16	47
		27	00	26	47
		25	00	08	17
		26	00	13	73
		20	00	38	33
		19	00	18	42
		18	00	04	82
		58	00	32	25
		68	00	17	41
		69	00	20	39
	MOTAVAN (Cont..)	85	00	33	90
		97	00	05	37
		98	00	10	02
		103	00	03	75
		96	00	14	93
		104	00	14	11
		105	00	11	77
		106	00	26	05
		107	00	08	22
		93	00	04	32
4	SARTHAN	551	00	04	90
		553	00	05	00
		554	00	17	33
		555	00	17	86
		557	00	20	45
		559	00	00	50
		556	00	27	03
		575	00	03	72

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		573	00	29	19
		570	00	16	15
		568	00	02	41
		567	00	05	53
		569	00	15	05
5	TELVA	71	00	01	45
		72	00	24	80
		73	00	00	58
		70	00	01	82
		74	00	09	53
		75	00	09	96
		48	00	02	29
		76	00	00	56
		77	00	01	57
		78	00	51	03
		80	00	04	85
		81	00	03	49
		79	00	00	40

[F. No. Expl-11032(11)/96/2022-EXPL-I-PNG (E-45248)]

R. K. KUREEL, Director